


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सेवा में

प.॥ १७ पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं इनके
आधीवक्ता अनुपस्थित हैं। उत्तरवादी वकील
की अनुपस्थित पत्रावली का कवलोकात
कोले पर पाया, कि वादी नं ३ व ९ कोत
को चुके हैं, जो आदेशिका दिनांक २४.५.१५
में आ चुका है, लेकिन एक लाल ले आधीव
समय उत्तीत घेने के उपरांत भी वकील
वादीगण द्वारा इस बाबत, कानून कोट
न्यायालय में उपस्थित पत्र पेश नहीं किया
गया है। इनके उत्तीत होता है, कि वकील
वादीगण उक्त को आगे चलाने के इच्छुक
नहीं हैं और आप न्यायालय समक्ष
में अलग २ बार तीन बार वकील व
वादीगण को आवाजे किलवाई गई। लेकिन
वकील व वादीगण ने ले कोई शर्प
नहीं उभा है। इनके स्पष्ट है, कि वकील
वादीगण उक्त को आगे चलाने नहीं
चाहते हैं और न्यायालय की उत्तीत
समझती है, कि उक्त को खड़ी
है पर स्वार्थी किमत आवे।
अतः पेशी व अडम हाथेली में
स्वार्थी किता जाता है।

पत्रावली केवल सुनार के
वादीवक दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी